सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
## पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 162 / 2017 अपील (RCMS/2017/00179)
पंजीयन दिनांक – 26.12.2017
निर्णय दिनांक – 19.06.2018

1. श्री टीलसिंह पिता पीथासिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
2. श्री खीमसिंह पिता धर्मसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
3. श्री सरदारसिंह पिता धर्मसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
4. श्री पन्नासिंह पिता पीथासिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
5. श्री वन्नासिंह पिता राजूसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
6. श्री प्रेमसिंह पिता राजूसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
7. श्री राजूसिंह पिता भेरुसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
8. श्री दौलतसिंह पिता राजूसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
9. श्री भेरुसिंह पिता जोधसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
10. श्री सोहनसिंह पिता जोधसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।

– अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. श्री केसरसिह पिता रुपसिंह जाति रावत, निवासी ग्रम बरजाल, मजरा, सोडातों की बरजाल, तहसील भीम, जिला राजसमंद।

2. श्री वेणसिंह पिता रुपसिंह जाति रावत, निवासी ग्रम बरजाल, मजरा, सोडातों की बरजाल, तहसील भीम, जिला राजसमंद।
3. श्री अमरसिंह पिता चमनसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
4. श्री हीरासिंह पिता चमनसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
5. श्री तिलोकसिंह पिता चमनसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
6. श्री मदनसिंह पिता गुलाबसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
7. श्री नारायणसिंह पिता गुलाबसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
8. श्री दौलतसिंह पिता गुलाबसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
9. श्री नुम्बसिंह पिता पूरणसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
10. श्री हिम्मतसिंह पिता पूरणसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
11. श्री हीरासिंह पिता खीमसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
12. श्री सूरतसिंह पिता लालसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
13. श्री प्रकाशसिंह पिता प्रेमसिंह जाति रावत, निवासी किशनपुरा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
14. श्री हजारीसिंह पिता किशनसिंह जाति रावत, निवासी ग्राम बरजाल, मौजा सोडातों की बरजाल, तहसील भीम, जिला राजसमंद।
15. श्री छगनसिंह पिता किशनसिंह जाति रावत, निवासी ग्राम बरजाल, मौजा सोडातों की बरजाल, तहसील भीम, जिला राजसमंद।
16. ग्रम पंचायत स्वादड़ी जरिये सरपंच स्वादड़ी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री सम्पत लाल बोहरा — वकील अपीलान्ट्स
2. श्री रामलाल मेघवाल — वकील रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देवगढ़ प्रकरण संख्या 08/2016 दिनांक 20.11..2017

## निर्णय

दिनांक 19.06.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देवगढ़ प्रकरण संख्या 08/2016 दिनांक 20.11.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का स्वादड़ी तहसील देवगढ़ की आराजी नं. 700 रकबवा 17.09 बीघा भूमि में श्री किशनलाल उर्फ किशनसिंह पिता वजा उर्फ विजयसिंह रावत निवासी बरजाल तहसील भीम का राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था। खातेदार किशनलाल ने एक अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र किमतन 2500/— का 158/— के स्टाम्प पर रेस्पों. संख्या 1 व 2 के हक में लिख दिया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत स्वादड़ी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 15.06.1982 को पारित किया गया। तत्पश्चात् उसके बाद निरन्तर किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 536, 537, 538 दिनांक 05.09.2016 से ग्राम पंचायत स्वादड़ी पंचायत समिति देवगढ़ द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरणों के विरुद्ध अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ के न्यायालय में इस आशय से पेश की गई कि वादग्रस्त भूमि श्री किशनलाल उर्फ किशन सिंह ने एक अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र इस भूमि कि किमतन 700/—रु.रोकड़ बेचान कर बेचाननामा संम्वत 2011 भादवा सुदी तेरस को गवाहन की मौजुदगी में बही में लिख दिया तथा भूमि का कब्जा खरीददार को सिपुर्द कर दिया तथा बेचान पेटे 30/— रु. बकाया भूमि खाते कराने पर देना तय किया। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त नामान्तरकरणों के विरुद्ध अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय अनुसार ग्राम पंचायत स्वादड़ी द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 244 विधिवत् रुप से पारित किया गया है साथ ही विक्रय पत्र के आधार पारित नामान्तरकरण संख्या 536, 537, 538 दिनांक 03.09.2016 को विधिवत् मानते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन है जो चलने योग्य नहीं होने से

खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 20.11.2017 को पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट की बहस दिनांक 12.06.2018 को सुनी गई। वकील रेस्पों. ने लिखित बहस पेश करने का समय चाहा गया । वकील रेस्पों. ने दिनांक 18.06.2018 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि विवादग्रस्त आराजीयात में श्री किशनलाल उर्फ किशन सिंह का 1/3 हिस्सा खातेदार के रुप में दर्ज था। किशनलाल ने एक अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र इस भूमि कि किमतन 700/–रु.रोकड़ बेचान कर बेचाननामा संम्वत 2011 भादवा सुदी तेरस को गवाहन की मौजुदगी में बही में लिख दिया तथा भूमि का कब्जा खरीददार को सिपुर्द कर दिया तथा बेचान पेटे 30/– रु. बकाया रखा जो भूमि को अपीलान्ट के खाते कराने पर देना तय किया गया, तब से वादग्रस्त भूमि पर बराबर अपीलान्ट्स व उनके पूर्वजों का आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा विक्रय के बाद कब्जा प्राप्त करने पर तीनों भाईयों ने भूमि आपसी बटवारा कर कब्जा काश्त अलग अलग कर दिया तथा कब्जा किशनलाल के हिस्से पर आज दिनांक तक शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। अपीलान्ट्स के पूर्वजों द्वारा कथित भूमि को अपीलान्ट्स के खाते कराने हेतु कहते रहे व खातेदार टालमटूल का जवाब देते रहे जिससे यह जमीन अपीलान्ट के खाते दर्ज नहीं हो पायी तथा बाद में किशनलाल ने एक अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र किमतन 2500/– का 158/– के स्टाम्प पर रेस्पों. संख्या 1 व 2 के हक में लिख दिया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत स्वादड़ी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 15.06.1982 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोलकर स्वीकृत किये उसे सही मानते हुए बहाल रखने में भारी भूल की है क्योंकि 100/– से अधिक का विक्रय पत्र तभी माना जायेगा जब वह रजिस्टर्ड हो। अधीनस्थ न्यायालय ने द्वितीय अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पारित किया नामान्तरकरण एबइनिश्योवोइड होते हुए भी कथित नामान्तरकरण संख्या 244 को बहाल रखते हुए परिणामस्वरुप स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 536, 537 एवं 538 भी वोईड होते हुए उन्हें भी बहाल रखने का आदेश दिया जो बिल्कुल गलत होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 15.06.1982 एवं इस नामान्तरकरण के परिणाम स्वरुप स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 536, 537 व 538 निरस्त कराये जाने का अनुरोध किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने लिखित बहस में बताया कि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 15.06.1982 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है एवं उसके आधार पर शेष नामान्तरकररण संख्या 536, 537 एवं 538 को भी निरस्त करने का निवेदन किया है जबकि विधि अनुसार प्रत्येक नामान्तरकरण की अपील पृथक–पृथक रुप से पेश करनी होती है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में रेगुलर वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। अपीलान्ट द्वारा कथित तौर पर फर्जी तरिके से बिकावनामा बाद में बनाया गया है एवं मेलाफाईट आशय के तैयार किया गया है ताकि रेस्पों की कृषि भूमि को हड़प किया जा सके एवं ऐसी स्थिति थी तो अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज क्यों नहीं करवाया क्योंकि की अपीलान्ट को मालूम था कि उनके दस्तावेज बनावटी है व फर्जी हैा। अपीलान्ट का उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा भी नहीं है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से हितबद्ध व्यक्ति नहीं है तथा सन् 1954 में ही अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया तो इतने वर्षो तक चुपचाप क्यों बैठा रहा यह अत्यंत संदेहास्पद स्थिति है। अपीलान्ट झूठ बता रहा है जो कि उसके स्वयं के कथनों से साबित होता है अगर ऐसी स्थिति थी तो अपीलान्ट ने इतने वर्षो में कोई कानूनी प्रकिया क्यों नहीं अपनाई और अधीनस्थ न्यायालय में अपने अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो कि वर्ष 1954 का था तो घोषणा का वाद प्रस्तुत क्यों नहीं किया जिससे भी साबित होता है कि अपीलान्ट ने सर्वथा तथ्य मिथ्या व बेबुनियाद आधार पर अंकित किये है। जिससे उक्त अपील न्यायहित में खारिज होने योग्य है। अन्त में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2017 विधि अनुसार न्याय सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखे जाने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने द्वितीय अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पारित किया नामान्तरकरण एबइनिश्योवोइड होते हुए भी कथित नामान्तरकरण संख्या 244 को बहाल रखते हुए परिणामस्वरुप स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 536, 537 एवं 538 भी वोईड होते हुए उन्हें भी बहाल रखने का आदेश दिया जो बिल्कुल गलत होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 15.06.1982 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है एवं उसके आधार पर शेष नामान्तरकररण संख्या 536, 537 एवं 538 को भी निरस्त करने का निवेदन किया है जबकि विधि अनुसार प्रत्येक

नामान्तरकरण की अपील पृथक–पृथक रुप से पेश करनी होती है। अपीलान्ट का उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा भी नहीं है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से हितबद्ध व्यक्ति नहीं है तथा सन् 1954 में ही अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया तो इतने वर्षो तक चुपचाप क्यों बैठा रहा यह अत्यंत संदेहास्पद स्थिति है। निर्णय दिनांक 20.11.2017 पारित किये जाने के समय अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट के कथनों पर पूर्णतया विवचेन किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देवगढ़ का आदेश दिनांक 20.11.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी देवगढ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( भवानी सिंह देथा )
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर